राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
सेक्टर–18, कुम्भा मार्ग, प्रताप नगर जयपुर – 302033
Phone: 0141-2795527, 2792644, Fax: 0141-2791803
Email: rppt.ruhs@gmail.com, Website: www.ruhsraj.org

Central Admission Committee (Pharmacy)

क्रमांकः एफ–11( )/प्र.प.अ./सी.ए.सी.–09/आर.यू.एच.एस./2009–10/ दिनांक : 08.08.2009

Rajasthan Centralized Pharmacy Admissions-2009

फार्मेसी कोर्स में प्रवेश हेतु अभयर्थियों को दिशा निर्देश, ऑप्शन फार्म, सीट मेट्रिक्स (संस्थानों, कोर्स एवं सीटों की सूची), अण्डरटेकिंग फार्म भेज दिये गये हैं तथा पैरा नं. 10 पर दी गई वेबसाईटों पर भी उपलब्ध हैं।

अभ्यर्थी दिशा निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करें।

परिवर्तित दिशा निर्देश

1. **अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS, Jaipur) ने किसी भी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय को काउन्सलिंग, प्रवेश, इत्यादि के लिये अधिकृत नहीं किया है।**

2. राजस्थान में स्थित राजकीय/निजी महाविद्यालयों में संचालित फार्मेसी कोर्स (बी. फार्म, डी. फार्म) में अभ्यर्थियों को प्रवेश उनकी 10+2 की मेरिट एवं उनके द्वारा दिये गये संस्थानों एवं कोर्स के विकल्पों के आधार पर दिये जायेगें। इसके लिये अभ्यर्थी को ऑप्शन फार्म भरना होगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ ऑप्शन फार्म दिनांक **18.08.2009** (सांय 5.00 बजे) तक CAC (Pharmacy)-2009, RUHS के उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए।

3. ऑप्शन फार्म के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें, अन्यथा ऑप्शन फार्म निरस्त कर दिया जायेगाः
   a. 10,000/– रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो Registrar, Rajasthan University of Health Sciences के नाम से जयपुर में देय हो।
   b. 12वीं (विज्ञान) एवं 10वीं उत्तीर्ण की अंक तालिका की सत्यापित प्रतिलिपि।
   c. अण्डरटेकिंग फार्म

4. विभिन्न महाविधालयों की नवीनतम सीट मैट्रिक्स वेबसाईटों पर भी उपलब्ध है। इसमें महाविद्यालयों व कोर्स कोड की सूची दी गई है। यदि सीट मैट्रिक्स में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे तत्काल वेबसाईटों पर अपडेट कर दिया जायेगा।

अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑप्शन फार्म भरने से पूर्व वेबसाईटों पर उपलब्ध दिशा निर्देश एवं अपडेटेड सीट मैट्रिक्स का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें। अधूरी सूचना के आधार पर भरे गये ऑप्शन फार्म के लिये CAC (Pharmacy)-2009 उत्तरदायी नहीं होगी।

5. ऑप्शन फार्म में 60 विकल्प भरने की सुविधा दी गयी है। अभ्यर्थियों को संस्थानों व कोर्स कोड सीट मैट्रिक्स में देखकर भरने हैं। विकल्पों को अपनी प्राथमिकता के अनुरूप ही भरें।

6. अभ्यर्थियों को मेरिट में वरीयता एवं उनके द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर महाविद्यालय एवं कोर्स के आवंटन का कार्य कम्प्यूटर द्वारा सोफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा। यदि choices कम भरने की वजह से संस्थान या कोर्स आवंटित नहीं हो पाता तो अभ्यर्थी स्वयं उसके लिये जिम्मेवार होगा।

7. **महाविधालय एवं कोर्स की आवंटन सूचना अब दिनांक 24.08.2009 को वेबसाईटों पर ही उपलब्ध होगी।** अभ्यार्थियों को प्रोविजनल प्रवेश हेतु समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति एवं शेष फीस के साथ आवंटित महाविधालय में दिनांक **01.09.2009** तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

8. यदि ऑप्शन फार्म के अनुसार आवंटित सीट पर निर्धारित समयावधि में अभ्यर्थी join नहीं करता है, तो उसका आवंटन निरस्त माना जायेगा तथा जमा कराई गयी 10,000/– रूपये की राशि जब्त कर ली जायेगी। जब्त की गई राशि के लिये किसी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों पर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर अवश्य अंकित करें। डी.डी. के पीछे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नम्बर अवश्य अंकित करें। अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर उसके पते लगे लिफाफे पर लिखा हुआ है यह नम्बर अभ्यर्थी वेबसाईट पर भी देख सकते है।

10. नवीनतम सूचनाओं की जानकारी के लिये वेबसाईटों को नियमित रूप से देखते रहें (www.ruhsraj.org अथवा www.indiaresults.com).

Coordinator
CAC (Pharmacy)-2009